बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर०.....60...../2026

NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राज्य के डी॰एल॰एड॰ कोर्स संचालित सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण सत्र 2025–27 में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट नामांकन से संबंधित सूचना।

समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 305/2025 के क्रम में सभी संबंधित हितधारकों को यह सूचित किया जाता है कि राज्य के डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025–27 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के आधार पर प्रथमतः सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन/नामांकन की कार्रवाई एवं तदुपरांत गैर–सरकारी संस्थानों के लिए तीन चरणों में समिति द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की गई है। समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 58/2026 के आलोक में गैर–सरकारी संस्थानों के द्वारा दिनांक 09.03.2026 तक तृतीय चरण में हुए सभी नामांकन का Updation समिति के पोर्टल **https://www.bsebdeled.com** पर दिनांक 10.03.2026 तक किया गया है।

2. समिति द्वारा गैर–सरकारी संस्थानों में तीन चरणों में संस्थान आवंटन एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात् गैर–सरकारी संस्थानों में अभी भी सीट रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम/द्वितीय चरण में चयनित कतिपय आवेदक ऐसे हैं, जिनके द्वारा अपने आवंटित संस्थान में मात्र 3000/– रूपये की सुरक्षा राशि जमा की गई थी और जिन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से संसूचित समिति के निर्देशों के बावजूद अभी तक अपने नामांकित संस्थान में वहाँ के प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि जमा नहीं किया है। स्पष्टतः ऐसे आवेदक अपने नामांकित संस्थान में अध्ययन के इच्छुक नहीं हैं, और जिन सीटों के विरूद्ध उनका नामांकन हुआ है, वह सीट रिक्त रह जाने की आशंका है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। अतएव **जिन आवेदकों के द्वारा अपने नामांकित संस्थान में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि अभी तक जमा नहीं किया गया है, वैसे आवेदकों को शुल्क की शेष राशि के भुगतान हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 12.03.2026 तक संस्थान के प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि अनिवार्य रूप से जमा कर दें। दिनांक 12.03.2026 के पश्चात् संस्थान उन आवेदकों का आवंटन/नामांकन निरस्त किए जाने हेतु स्वतंत्र होगें, जो आवेदक शुल्क की शेष राशि जमा नहीं करेंगे। संस्थान द्वारा यह कार्य Updation हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक 13.03.2026 तक ही किया जा सकता है। इसके लिए समिति द्वारा सभी प्रशिक्षण संस्थान को उनके लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।**

2.1 नामांकित आवेदक के द्वारा शुल्क भुगतान नहीं किए जाने के कारण उनका नामांकन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया में सभी गैर–सरकारी संस्थान पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतेंगे। सभी गैर–सरकारी संस्थान इस बात को हर हाल में सुनिश्चित करेंगे कि अकारण किसी नामांकित आवेदक का नामांकन किसी भी परिस्थिति में निरस्त नहीं हो। यदि संस्थान के स्तर से चूकवश भी ऐसा होता है और इससे कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।

3. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के चयनित वैसे आवेदक जो 3000/रू0 की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, **वे दिनांक–12.03.2026 तक** संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा यह माना जाएगा कि वे संस्थान में पठन हेतु इच्छुक नहीं है और तदनुसार संस्थान द्वारा उनका नामांकन निरस्त कर दिया जा सकता है।

4. आवेदक हित में गैर–सरकारी संस्थानों में अद्यतन नामांकन उपरान्त रिक्त रह गए सीटों पर स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की कार्रवाई की जानी है, जिसकी पात्रता, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम अग्रेतर कंडिकाओं में उल्लिखित है।

5. गैर–सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल https://www.bsebdeled.com पर दिनांक 14.03.2026 को अपलोड रहेगा।

6. गैर–सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु डी॰एल॰एड॰ संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति सं० पी०आर० 305/2025 में वर्णित योग्यता/पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के आवेदक पात्र होगें :–

(क) वैसे आवेदक ही स्पॉट (Spot) नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं, जिन्होंने दिनांक 29.11.2025 से 05.12.2025 तक की अवधि में समिति के पोर्टल के माध्यम से CAF (Common Application Form) आवेदन समर्पित किया था।

(ख) वैसे आवेदक, जिनके द्वारा CAF (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किन्तु उनका चयन सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थानों के लिए समिति स्तर से जारी किसी भी सूची में नहीं हुआ है, अथवा

(ग) वैसे आवेदक जिन्होंने सरकारी/गैर–सरकारी संस्थानों की प्रथम चयन सूची/द्वितीय चयन सूची/तृतीय चयन सूची में आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं लिया अथवा जिन्होंने 3000/– रूपये की सुरक्षा राशि जमा कर नामांकन लिया था, किन्तु संस्थान के प्रथम वर्ष की शेष राशि जमा नहीं किए जाने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है।

(घ) समिति द्वारा सरकारी संस्थानों के लिए जारी की गई तीन चयन सूची व गैर–सरकारी संस्थानों के लिए जारी की गई तीन चयन सूची के आलोक में अथवा सरकारी संस्थानों की स्पॉट नामांकन प्रक्रिया के तहत किसी भी संस्थान में नामांकित कोई भी आवेदक गैर–सरकारी संस्थानों की स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।

(ङ.) सभी गैर–सरकारी संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वैसे किसी भी आवेदक का स्पॉट (Spot) नामांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाए, जिन्होंने CAF (Common Application Form) आवेदन नहीं भरा है।

7. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 127, दिनांक 12.01.2023 के आलोक में तृतीय चरण की समाप्ति के बाद विज्ञान विषय अथवा कला व वाणिज्य विषय में स्थान शेष रह जाने पर जिस विषय में अभ्यर्थी शेष है, उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थान के विरूद्ध लिया जा सकता है। तद्नुसार डी०एल०एड० कोर्स संचालित सभी संस्थानों में स्वीकृत सीट के 50 प्रतिशत स्थान विज्ञान एवं 50 प्रतिशत स्थान–कला व वाणिज्य के आवेदकों के लिए आरक्षित रहने के प्रावधान को स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु शिथिल किया जाता है।

8. उपर्युक्त श्रेणी के पात्र आवेदकों के स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की प्रक्रिया निम्नवत् है :–

i. इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत हो लेंगे।

ii. वैसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया है वे समिति पोर्टल पर जाकर अपना बारकोड/Reference Number डालकर स्पॉट नामांकन हेतु CAF अपना डाउनलोड कर लें।

iii. तत्पश्चात् आवेदक जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक हैं, वहाँ संगत अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ आवेदक अपने सभी अकादमिक प्रमाण–पत्रों, आरक्षण कोटि/अन्य कोटि से संबंधित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के अलावे अपना **स्कोर कार्ड एवं CAF अवश्य संलग्न करेंगे।**

iv. संस्थान प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएँगी, अर्थात् आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्ति संख्या 01 से शुरू न कर उस संख्या से शुरू की जाएगी, जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद है।

v. आवेदक से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्क्षण ही उसे आवेदन पत्र की छायाप्रति पर आवेदन की प्राप्ति (Receiving) दी जाएगी। आवेदन की छायाप्रति पर Receiving के साथ–साथ आवेदन प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

vi. **संस्थान आवेदकों के CAF No. को अपने लॉग इन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है।**

vii. आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित आवेदक के "रैंक" के आधार पर पात्र आवेदकों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित (प्रकाशित) करते हुए आपत्ति आमंत्रण किया जाएगा।

viii. तत्पश्चात् आवेदकों से प्राप्त आपत्ति/आपत्तियों का निराकरण करते हुए संस्थान द्वारा अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसे संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित (प्रकाशित) किया जाएगा।

ix. संस्थान द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर आवेदकों के नामांकन की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए उसे समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट (Update) किया जाएगा।

9. स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों की समय तालिका निम्नवत् है :–

क्र. स.	कार्य	तिथि
1.	गैर–सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के चयनित वैसे आवेदक जो 3000/रू0 की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, के द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने की तिथि	11.03.2026 से 12.03.2025 तक
2.	गैर–सरकारी संस्थानों के द्वारा नामांकन के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि	13.03.2026 तक
3.	गैर–सरकारी संस्थान वार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना	14.03.2026
4.	आवेदक द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की अवधि	14.03.2026 से 15.03.2026 तक
5.	मेधा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि (इसे मुख्य द्वार पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा)	16.03.2026
6.	औपबंधिक सूची पर आवेदकों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि	16.03.2026
7.	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि	17.03.2026
8.	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि	17.03.2026
9.	अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि	18.03.2026 से 20.03.2026
10.	नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रसारित अंतिम मेधा सूची के आवेदक द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदनों में से प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के आवेदक का मेधा क्रमानुसार नामांकन लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	23.03.2026 से 24.03.2026
11.	नामांकन के पश्चात् समिति के पोर्टल पर अद्यतन (Updation) करने की तिथि	25.03.2026

10/3/26

परीक्षा नियंत्रक (विविध),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

10/3/26